परिपत्र सं० : 456

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या/No. 5-1(3)/2008-PD　　　　　　　　　　　　दिनांक/Dated 20. 01.2009

प्रेषक/From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में/To,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
The Director/Heads of all National Labs./Instts of CSIR

Sub: Orders relating to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.

Sir,

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by Government of India relating to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations for information, compliance and necessary action:-

मुझे भारत सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन आपको सूचना, अनुपालन तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है :-

Sl. No	O.M. No. and date	Subject
1.	3/6/07-Dir(C) dated 15.10.2008.	Revised Pay and Allowances of Non-Statutory Departmental Canteen employees consequent upon the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.
2.	13018/2/2008-(E.L)) dated 02.12.2008	Child Care Leave in respect of Central Govt. employees as a result of Sixth Central Pay Commission recommendations- Clarification regarding.

भवदीय,

(अलोक कुमार मुखर्जी)
अवर सचिव

Encls: as above
संलग्न: यथोपरि:

प्रतिलिपिः

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एंव लेखा अधिकारी/ वित्त एंव लेखा अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
4. अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सी.एस.आई.आर के निजी सहायक
6. मुख्या सतर्कता अधिकारी, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
7. उप सचिव (के.का.)/उप सचिव(काम्पलैक्स)
8. प्रधान, यू.आर.डी.आई.पी/आई.पी.एम.डी/एच.आर.डी.सी/आर.डी.पी.डी/टी.एन.बी.डी./इस्टैड
9. विधि सलाहकार, सी.एस.आई.आर मुख्यालय के निजी सचिव
10. सी.एस.आई.आर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आर.ऐ.बी, सी.एस.आई.आर काम्पलैक्स
12. डॉ आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जे.सी.एम, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 80, लखनऊ
13. प्रधान, आई. टी. प्रभाग - इस अनुरोघ से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

No.3/6/07-Dir(C).
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)

****

Room No.361, 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi, dated the 15th October, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised Pay and Allowances of Non-Statutory Departmental Canteen employees consequent upon the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

The undersigned is directed to state that the Government's decision, on the recommendations of Sixth Central Pay Commission relating to Canteen staff in Para 3.8.7 of its report, contained in Part-A of First schedule to the CCS (RP) Rules,2008, notified, vide Ministry of Finance, Department of Expenditure Notification No GSR 662(E) dated the 29th August, 2008 has been considered in consultation with Ministry of Finance (Department of Expenditure) and it has been decided to grant the following revised scales of pay to the common category of Non-statutory Departmental Canteen employees/staff in various offices under the Ministries/Department of the Government of India: -

(A)(i) Group 'D' Posts :-

All existing Group 'D' Canteen Employees are to be placed in PB-1 with Grade Pay of Rs.1800/- (except those Group 'D' Canteen Employees who do not possess the minimum educational qualifications) as under :-

Sl. No.	Name of Post	Pre-revised scale of pay	Name of Pay Bands	Correspond-ing Pay Bands	Correspondin g Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Safaiwala	Rs.2550-3200	PB-1	Rs. 5200-20,200	Rs. 1800
2.	Wash Boy	Rs.2550-3200	PB-1	Rs. 5200-20,200	Rs. 1800
3.	Bearer	Rs.2610-3540	PB-1	Rs. 5200-20,200	Rs. 1800
4.	Tea/Coffee Maker	Rs.2610-3540	PB-1	Rs. 5200-20,200	Rs. 1800

(A)(ii) Group 'D' Posts :-

Group 'D' Canteen Employees who do not possess educational qualifications are to be placed first in – IS Pay Band as under :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Safaiwala	Rs.2550-3200	-1S	Rs. 4440-7440	Rs. 1300
2.	Wash Boy	Rs.2550-3200	-1S	Rs.4440-7440	Rs. 1300
3.	Bearer	Rs.2610-3540	-1S	Rs.4440-7440	Rs. 1400
4.	Tea/Coffee Maker	Rs.2610-3540	-1S	Rs. 4440-7440	Rs. 1400

.......2/-

Such Group 'D' Employees are to be suitably re-trained and made multi-skilled and thereafter placed in PB-1 as soon as possible but not later than six months from the date of notification.

(B) **Group'C' posts - The following pay structure will be applicable :-**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Halwai-cum-Cook	Rs.3050-4590	PB-1	Rs. 5200-20200	1900
2.	Clerk	Rs.3050-4590	PB-1	Rs. 5200-20200	1900
3.	Halwai-cum-Cook	Rs.3200-4900	PB-1	Rs.5200-20200	2000
4.	Assistant Manager-cum Storekeeper	Rs.4000-6000	PB-1	Rs.5200-20200	2400
5	Manager-cum-Accountant	Rs.5000-8000	PB-2	Rs. 9300-34800	4200
6	Manager Grade-II	Rs.5000-8000	PB-2	Rs.9300-34800	4200
7	Dy.General Manager	Rs.5000-8000	PB-2	Rs.9300-34800	4200
8	General Manager	Rs.5500-9000	PB-2	Rs.9300-34800	4200

2. The drawal of pay in the revised scales, option, fixation of initial pay, date of next increment etc. will be settled in accordance with CCS (RP) Rules, 2008, issued by the Ministry of Finance.

3. These orders will be applicable w.e.f. 1st January, 2006.

4. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, (Department of Expenditure) (Implementation Cell) U.O. No.4.2/26/2008 IC dated 13.10.2008.

Lal Singh

(Lal Singh)
Director (Canteens)
Tele. 24624893

To :-

1. All Ministries/ Departments of the Government of India as per standard List.
2. (Director/Deputy Secretaries Incharge, Administrative Division/Wing)- for necessary action/further dissemination to all concerned establishments under them.
3. Ministry of Finance, Department of Expenditure (Implementation Cell) with reference to their U.O. referred to above.
4. Deputy Secretary (Admn.), DOPT, North Block, New Delhi
5. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
6. Director of Audit, Central Revenue, New Delhi.
7. Controller General of Accounts, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
8. Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi.
9. Controller General of Defence Accounts, R.K. Puram, West Block, N. Delhi.
10. CAO's Office Ministry of Defence, DHQ,PO, New Delhi-110011.
11. Administrator, all Union Territories as per standard list
12. Section Officer (Canteens), with 300 copies.

सं.3/6/07-निदेशक (कैंटीन)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कमरा सं. 361, तीसरा तल, लोक नायक भवन,
नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामरस्वरूप गैर सांविधिक विभागीय कैन्टीन कर्मचारियों के संशोधित वेतन और भत्ते ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 662(अ) के अन्तर्गत अधिसूचित केन्द्रीय सिविल सेवा (आर.पी.) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग क' में विहित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की, कैन्टीन कर्मचारियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट के पैरा 3.8.7 में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से परामर्श करके विचार किया गया है और भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यालयों में गैर सांविधिक विभागीय कैन्टीन कर्मचारियों को एक समान श्रेणी के निम्नलिखित संशोधित वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क)(i) समूह 'घ' पद

समूह 'घ' के सभी मौजूदा कैन्टीन कर्मचारियों को 1800/-रू0 के ग्रेड वेतन के साथ निम्नानुसार वेतन बैंड-। में रखा जाना है (समूह घ के उन कैन्टीन कर्मचारियों को छोड़कर जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं) :-

क्रम सं.	पद का नाम	पूर्व संशोधित वेतनमान	वेतन बैंड	तदनरूपी वेतन बैंड	तदनरूपी ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सफाईवाला	रू0 2550-3200	वेतन बैंड-।	रू0 5200-20200	1800रू0
2	धुलाई वाला	रू0 2550-3200	वेतन बैंड-।	रू0 5200-20200	1800रू0
3	बैरा	रू0 2610-3540	वेतन बैंड-।	रू0 5200-20200	1800रू0
4	चाय/कॉफी बनाने वाला	रू0 2610-3540	वेतन बैंड-।	रू0 5200-20200	1800रू0

(क)(ii) <u>समूह 'घ' पद</u>

समूह घ के कैन्टीन कर्मचारी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखते, को पहले, I-एस.वेतन बैंड में निम्नानुसार रखा जाना है :-

1.	2	3	4	5	6
1	सफाईवाला	रू0 2550-3200	I-एस	रू0 4440-7440	1300रू0
2	धुलाई वाला	रू0 2550-3200	I-एस	रू0 4440-7440	1300 रू0
3	बैरा	रू0 2610-3540	I-एस	रू0 4440-7440	1400 रू0
4	चाय/कॉफी बनाने वाला	रू0 2610-3540	I-एस	रू0 4440-7440	1400 रू0

ऐसे समूह घ कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से यथाशीघ्र और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के छः माह के भीतर पुनः प्रशिक्षित करके बहु-कौशल बनाया जाना है और उसके पश्चात वेतन बैंड-I में रखा जाना है

(ख) <u>समूह 'ग' पद</u>- निम्नलिखित वेतन ढांचा लागू होगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक हलवाई और रसोईया	रू0 3050-4590	वेतन बैंड-I	रू0 5200-20200	रू0 1900
2	लिपिक	रू0 3050-4590	वेतन बैंड-I	रू0 5200-20200	रू0 1900
3	हलवाई और रसोईया	रू0 3200-4900	वेतन बैंड-I	रू0 5200-20200	रू0 2000
4	सहायक प्रबंधक और स्टोर कीपर	रू0 4000-6000	वेतन बैंड-I	रू0 5200-20200	रू0 2400
5	प्रबंधक और लेखाकार	रू0 5000-8000	वेतन बैंड-2	रू0 9300-34800	रू0 4200
6	प्रबंधक ग्रेड-II	रू0 5000-8000	वेतन बैंड-2	रू0 9300-34800	रू0 4200
7	उप महाप्रबंधक	रू0 5000-8000	वेतन बैंड-2	रू0 9300-34800	रू0 4200
8	महाप्रबंधक	रू0 5500-9000	वेतन बैंड-2	रू0 9300-34800	रू0 4200

2. संशोधित वेतनमानों में वेतन का आहरण, विकल्प का दिया जाना, प्रारंभिक वेतन का निर्धारण, अगली वेतनवृद्धि इत्यादि की तारीख, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सी.सी.एस.(आर.पी.)

फा. संख्या-13018/2/2008-स्था.(छुट्टी)　　　　नई दिल्ली, दिनांक 02 दिसम्बर, 2008

प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषित है:

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
2. वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक का कार्यालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति का सचिवालय/उप राष्ट्रपति का सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
4. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
6. सचिव, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-ग, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
7. संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
10. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग । (30 अतिरिक्त प्रतियां)
13. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस का.ज्ञा. को डीओपीटी की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित ।
14. 100 अतिरिक्त प्रतियां ।

(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक